संख्या-840/2017/1996/22-2-2017-17(118)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री बालेश्वर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25389/पो0अनु0-(2)-182/सलाहकार समिति/ (एम0 22.06.2017) दिनांक-18.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री बालेश्वर जो ग्राम-भमेला, थाना-तिताबी, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ओमप्रकाश सिंह के यहां नौकर था, बन्दी ने दिनांक 24.09.1995 को प्रात: लगभग 10:30 बजे ओमप्रकाश सिंह की धेवती कु0 सोनिया को पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-54/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 03.02.1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.03.2017 तक 21 वर्ष 06 माह 04 दिन की अपरिहार तथा 27 वर्ष 06 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समितिकी आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी अभी 40 वर्षीय वयस्क व्यक्ति है तथा वह अन्य आपराधिक कृत्य कर सकता है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महेश पुत्र श्री बालेश्वर को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी महेश (बन्दी संख्या-5,512) पुत्र श्री बालेश्वर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-840/2017/1996/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।